

सूचना आमंत्रण कोटेशन (एनआईक्यू)

सेवा में,

इंटरनेट/स्थानीय पृष्ठताछ
और आईएचई के वेबसाइट के माध्यम से
पहचान की गई सूची के अनुसार

विषय: भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचई), ए-5, सेक्टर-62, नोएडा के एसी सर्विस तथा मरम्मत करने के संबंध में।

महोदय,

आपका कोटेशन सीलबंद लिफाफे में निदेशक, आईएचई को 30.03.2022, 15.00 बजे तक अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रारूप में तथा उपरोक्त कार्य के लिए बताए गए निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है। इस कोटेशन में, एनआईक्यू का पत्र संख्या और दिनांक का उल्लेख करना है।

नियम और शर्तें

- कोटेशन जमा करने वाली एजेंसी के पास वैध पैन और जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। एजेंसियों को 2 लिफाफे में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। पहले लिफाफे में पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और 5000/- रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट एक अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी, नोएडा में देय के पक्ष में होगा। दूसरे लिफाफे में अनुबंध 1 में दिए गए वित्तीय उद्घरण/कोटेशन शामिल होंगे। पहला लिफाफा पहले खोला जाएगा और जिन एजेंसियों ने पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और सिक्युरिटी डिपॉजिट जीम की है वह दूसरा लिफाफे को खोलने के लिए पात्र होंगे यदि वित्तीय उद्घरण वाले लिफाफे। यह कार्य सबसे कम वित्तीय उद्घरण (कुल मूल्य) जमा करने वाली फर्म को दिया जाएगा। आईएचई एनआईक्यू संख्या IAHE/Admin/31 /AMC of AC/2021-22 दिनांक 09.03.2022 के जवाब में दोनों लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में डाल कर एवं भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचई) के एसी सर्विस तथा मरम्मत के संबंध में लिखकर जमा किया जाना है।
- संभावित बोलीदाताओं को उद्घरण प्रस्तुत करने से पहले कार्य के दायरे को उचित रूप से समझने के लिए साइट पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- उद्घृत दरें प्रारंभिक आदेश के जारी होने से एक वर्ष के लिए लागू होनी चाहिए।
- सभी आवश्यक वस्तुएं अनुमोदित ब्रांड/मेक की होनी चाहिए और निर्माता द्वारा दी गई उपयुक्त गारंटी/वारंटी होनी चाहिए। फैनिलैसियल उद्घरण में उल्लिखित मात्रा केवल अनुमानित मात्रा है और आदेश के समय भिन्न हो सकती है। एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं और मात्राओं के लिए समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। एजेंसी द्वारा उद्घृत दरों के आधार पर किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा के लिए भुगतान किया जाएगा। हालांकि, आईएचई 100% भुगतान (ऐसी वस्तुएं जिनके लिए कोई वारंटी नहीं दी गई है) के लिए करेगी तथा संबंधित कार्य के पूरा होने के समय किए गए कार्य का 75% भुगतान करेगी और शेष 25% संबंधित आइटम की वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा जैसा लागू हो, अनुबंध -1 में उल्लिखित है।
- उद्घृत दरों में आईएचई, ए-5, सेक्टर-62, नोएडा, यूपी के परिसर में साइट तक आपूर्ति, लोडिंग/अनलोडिंग, माल ढुलाई और सभी कर (जीएसटी इत्यादि) आदि शामिल होना चाहिए।
- आईएचई द्वारा आदेशित सभी मर्दों का कार्य संबंधित आदेश जारी होने के सात (07) दिनों के भीतर सभी तरह से पूरा किया जाना चाहिए।
- सात कार्य दिवसों के भीतर सफल एजेंसी को जारी किए गए प्रारंभिक आदेश के एक वर्ष के बाद सिक्युरिटी डिपॉजिट जारी किया जाएगा।

शुनील गुप्ता

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पताम द्वारा संबोधित किए जाएं। Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष / Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल/ Email: director-iahe@gov.in / Website/ वेबसाइट: iahe.org.in

भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

8. सभी मदों के लिए दरें (एनआईक्यू के अनुबंध-1 में उल्लिखित) एजेंसीधर्म द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। यदि कोई एजेंसीधर्म किसी भी मद को उद्धृत करने में विफल रहता है, तो उसके कोटेशन को अपूर्ण माना जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मूल्यांकन कुल मूल्य के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध-1 में मात्रा कॉलम में उल्लिखित इकाइयों के अनुसार दरें उद्धृत की जानी चाहिए।
9. एजेंसी को सौंपे गए संबंधित कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के सात (07) दिनों के भीतर भुगतान चेक या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। कोटेशन में बैंक खाते का विवरण (खाताधारक का नाम, खाते की प्रकृति, खाता संख्या, बैंक का नाम / शाखा) निर्दिष्ट किया जाएगा।
10. कार्य के दौरान अतिरिक्त सावधानी/सुरक्षा बरती जा सकती है और उपयुक्त सुरक्षा गियर का उपयोग किया जा सकता है। आईएचईई काम के दौरान शारीरिक नुकसान या जीवन के नुकसान सहित संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में भविष्य के किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. कार्य के दौरान कार्यालय की संपत्ति की किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान, चाहे वह जानबूझकर या आकस्मिक हो, एजेंसी को वहन करना होगा।
12. यदि सफल बोलीदाता और आईएचईई के बीच या इस अनुबंध की किसी भी अवधि की व्याख्या के कारण या अन्यथा इस अनुबंध के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे आपसी सहमति से तय किया जाएगा अन्यथा निदेशक, आईएचईई का निर्णय सफल बोलीदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
13. आईएचईई बिना कोई कारण बताए कोटेशन प्राप्त होने के बाद भी एनआईक्यू को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
14. आईएचईई के एनआईक्यू IAHE/Admin/31 /AMC of AC/2021-22 दिनांक 09.03.2022 के प्रत्युत्तर में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी (आईएचईई) के एसी सर्विस तथा मरम्मत को उल्लेख करते हुए उद्धरण को सीलबंद लिफाफे में आईएचईई को दिनांक 30.03.2022 को 15.00 बजे कोटेशन प्रस्तुत किया जाना है।
15. हिन्दी के एनआईक्यू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्तों अथवा सामान के स्पेसिफिकेशन में तथा अंग्रेजी के एनआईक्यू में दर्शाए गए किसी भी नियम व शर्तों अथवा सामान के स्पेसिफिकेशन में कोई अन्तर लगता है तो अंग्रेजी के एनआईक्यू को माना जाएगा।
16. यह निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मवदीय

सुनील कुमार गुप्ता
उपनिदेशक (एसकेजी)
कृते, निदेशक आईएचईई

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं। Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष / Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल/ Email: director-iahe@gov.in /Website/ वेबसाइट: iahe.org.in



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

Annexure -1

Format should be on the letter head of the agency submitting the quotation

To,

The Director
Indian Academy of Highway Engineers (IAHE)
A-5, Sector-62, Noida-201301, U.P.

Sir,

Please find our quotation with respect to your NIQ bearing No. IAHE IAHE/Admin/31 /AMC of AC/2021-22 dated 09.03.2022.

S. No.	Description	Qty	Unit	Rate to be quoted inclusive GST	Amount
1.	Servicing of ACs				
(i)	1.5 Tr Window AC	59	Nos		
(ii)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	71	Nos		
2.	Gas Charging in ACs with min. 6 months warantee				
(i)	1.5 Tr Window AC	04	No		
(ii)	1.0 Tr Split AC	01	No		
(iii)	1.5 Tr Split AC	05	No		
(iv)	2.0 Tr Split AC	14	No		
3.	Replacement of fan motor with new along with min. 6 months warantee				
(i)	Fan motor of 1.5 Tr Window AC	01	No		
(ii)	Indoor fan motor of 1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	01	No		
(iii)	Outdoor fan motor of 1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	01	No		
4.	Repairing of existing PCB in ACs with min. 3 months warantee				
(i)	1.5 Tr Window AC	01	No		
(ii)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	01	No		
5.	Replacement of Condensor with new Copper Condensor along with min. 12 months warantee				
(i)	1.5 Tr Window AC	01	No		
(ii)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	05	No		
6.	Replacement of cooling coil with new Copper cooling coil along with min. 12 months warantee				

कृपया ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं।/Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष /Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल/ Email: director-iahe@gov.in /Website/वेबसाइट: iahe.org.in

भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Indian Academy of Highway Engineers
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

(i)	1.5 Tr Window AC	01	No		
(ii)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	01	No		
7.	Replacement of Outdoor valve with new valve				
(i)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	02	No		
8.	Replacement of Running Capacitor with new Running Capacitor alongwith min. 6 months warantee				
(i)	1.5 Tr Window AC	01	No		
(ii)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	02	No		
9.	Replacement of Compressor with new Compressor alongwith min. 12 months warantee				
(i)	1.5 Tr Window AC	01	No		
(ii)	1.0/1.5 Tr Split AC	01	No		
(iv)	2.0 Tr Split AC	03	No		
10.	Removal of existing AC and refixing of AC at other location along with all accessories such as fastners for refixing etc.				
(i)	1.0/1.5/2.0 Tr Split AC	03	Nos		
11.	Supply and fixing of 12-15 mm dia. PVC Drain Pipe for AC	05	Mtr		
12.	Supply and fixing refridgerent copper pipe of required diameters (Twins pipes shall be measured in one unit) for Split AC (1.0/1.5/2.0 Tr)	05	Mtr		
13.	Supply and fixing 3-core & 2.5 sqmm Electric cable	05	Mtr		
Total					

I accept all the terms and conditions stated in NIQ issued bearing No. IAHE/Admin/31 /AMC of AC/2021-22 dated 09.03.2022.



Signature of Authorized Signatory
Name of the firm with Stamp and Date

सुपवा ध्यान दें: सभी पत्राचार केवल निदेशक को पदनाम द्वारा संबोधित किए जाएं।/Please note: All correspondence should be addressed to the Director by designation only

ए-5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-62, नोएडा (यूपी) - 201 301 (भारत) / A-5, Institutional Area, Sector-62, Noida (UP) - 201 301 (India)

दूरभाष /Telephone/ 0120-2975331/2

ईमेल/ Email: director-iahe@gov.in /Website/ वेबसाइट: iahe.org.in